

[2023] 6 एस. सी. आर 505

ए.

अजय शंकर श्रीवास्तवा बनाम.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. (2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 82) अप्रैल 10, 2023

बी.

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश, पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015-प्रैक्टिस और शैक्षिक डिग्री के प्रमाण पत्रों का सत्यापन-याची ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक कार्यालय आदेश को सभी राज्य बार काउंसिलों को चुनौती दी, जिसका उद्देश्य (याची के अनुसार) उन अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया को रोकना था जो अपनी डिग्री और नामांकन की वास्तविकता की जांच के लिए राज्य बार काउंसिलों में नामांकित हैं-

आयोजित: न्यायालय ब न्यायालय न्यायालय र न्यायालय

न्यायालय क न्यायालय न्यायालय उ न्यायालय न्यायालय स न्यायालय नि न्यायालय ल न्यायालय

न्यायालय ऑ न्यायालय फ न्यायालय

न्यायालय इ न्यायालय न्यायालय ड न्यायालय नि न्यायालय य न्यायालय न्यायालय

न्यायालय क न्यायालय न्यायालय न्यायालय स न्यायालय न्यायालय द न्यायालय न्यायालय ह न्यायालय

न्यायालय ह न्यायालय न्यायालय न्यायालय क न्यायालय नि न्यायालय

न्यायालय क न्यायालय ई न्यायालय

न्यायालय अ न्यायालय ध न्यायालय नि न्यायालय व न्यायालय क न्यायालय न्यायालय त न्यायालय न्यायालय

य

न्यायालय ज न्यायालय नि न्यायालय न न्यायालय न्यायालय ह न्यायालय न्यायालय न्यायालय न न्यायालय न्यायालय

न्यायालय न्यायालय स न्यायालय त न्यायालय न्यायालय य न्यायालय न्यायालय प न्यायालय न न्यायालय

न्यायालय क न्यायालय न्यायालय न्यायालय ल न्यायालय नि न्यायालय ए न्यायालय

न्यायालय अ न्यायालय प न्यायालय न न्यायालय न्यायालय

न्यायालय फ न्यायालय न्यायालय र न्यायालय न्यायालय म न्यायालय

न्यायालय ज न्यायालय म न्यायालय न्यायालय

न्यायालय न न्यायालय ह न्यायालय नि न्यायालय न्यायालय क न्यायालय नि न्यायालय ए न्यायालय

न्यायालय ह न्यायालय न्यायालय न्यायालय न्यायालय व न्यायालय न्यायालय

न्यायालय ए न्यायालय स न्यायालय न्यायालय

न्यायालय व न्यायालय न्यायालय य न्यायालय क न्यायालय न्यायालय त न्यायालय नि न्यायालय

[illegible]

न्यायालयद न्यायालये न्यायालयन न्यायालयान्यायालय

न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयन्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालयबन्यायालयलन्यायालयन्यायालयकन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयलन्यायालय न्यायालययन्यायालयहन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयुन्यायालयनन्यायालयिन्यायालयशन्यायालयन्यायालयचन्यायालयिन्यायालय
तन्यायालय न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयान्यायालय
न्यायालयथन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयतन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालयपन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयकन्यायालयन्यायालयरन्यायालयिन्यायालययन्यायालया
न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयलन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयान्यायालयजन्यायालयन्यायालययन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयन्यायालयसन्यायालयिन्यायालयलन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयन्यायालयवन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयजन्यायालयान्यायालयरन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयन्यायालय न्यायालयगन्यायालयन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालयसन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयमन्यायालयान्यायालयन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयगन्यायालयन्यायालय
न्यायालयथन्यायालयीन्यायालय।न्यायालय(i) उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश; (ii) दो वरिष्ठ
अधिवक्ता; और (iii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तीन सदस्य।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

505 ए.

506 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आशंका है कि कई अधिवक्ता जिन्होंने सत्यापन के लिए अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य नहीं हैं या जिनके पास "नकली डिग्री है"। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने इसे इस औचित्य के साथ प्रस्तुत किया है कि व्यक्तियों का यह वर्ग, विधि व्यवसाय के लिए अपेक्षित योग्यताओं के बिना, कार्य में व्यवधान सहित बाहरी प्रयोजनों के लिए न्यायालयों में प्रवेश करने के लिए जाना जाता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् का इस बात पर जोर देना न्यायोचित है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें विधिज्ञ परिषदों में नामांकित अधिवक्ताओं की सूची से बाहर किया जाना चाहिए।[पैरा **9**] **[509-ई-एफ]**

बी.

सी.

2. न्याय प्रशासन की अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्य बार काउंसिलों में नामांकित अधिवक्ताओं का उचित सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो अधिवक्ता होने का दावा करते हैं, किंतु उनके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं या उपाधि प्रमाणपत्र नहीं हैं जिनके आधार पर वे विधिपूर्ण रूप से अधिवक्ता बन सकते थे और 'बार' में उनका प्रवेश विधिसम्मत होता, नागरिकों को न्याय मिलने के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना देश के प्रत्येक वास्तविक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वे भारतीय विधिज्ञ परिषद के साथ सहयोग करें जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अभ्यास के प्रमाण पत्र अंतर्निहित शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्रों के साथ विधिवत सत्यापित हैं। यदि यह कवायद समय-समय पर नहीं की जाती है तो न्यायिक प्रशासन पर गंभीर संकट आ सकता है।[पैरा **10**] **[509-जी-एच; 510-ए-बी]**

डी.

ई.

3. 1 नवंबर 2022 के पत्र का उद्देश्य सत्यापन की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश देना नहीं था, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना था कि सत्यापन की प्रक्रिया केवल डिग्री प्रमाणपत्रों की वास्तविकता और वैधता को सत्यापित किए बिना राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रमाण पत्रों के आधार पर नहीं की गई थी।[पैरा **12**] **[510-ई]**

एफ.

जी.

4. इस मामले के बड़े आयामों और वकीलों में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताओं के स्वामित्व में नहीं पाए जाने वाले नकली डिग्री धारकों और अन्य व्यक्तियों के नामांकन के न्याय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय ए के सुझाव को स्वीकार करता है।

एच.

507

अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर.

भारतीय विधिज्ञ परिषद ने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए इस न्यायालय द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए और इसके सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: **(i)** उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश; **(ii)** दो वरिष्ठ अधिवक्ता; और **(iii)** बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तीन सदस्य। उपरोक्त सुझाव को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया है। [पैरा **13**] [510-एफ-एच]

बी.

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: 2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 82।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

सी.

आनंद नंदन, अमित पवन, ध्रुव शंकर मिश्रा, मोहम्मद फैज, जुबैर, आकर्ष, सुश्री शुभांगी, अक्षत श्रीवास्तव, अधिवक्तागण याची के लिए।

मनन कुमार मिश्रा, अपूर्वा कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुश्री राधिका गौतम, सुश्री अंजुल द्विवेदी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश

1. याची, जो एक अधिवक्ता है, ने दो अलग-अलग राहतों की मांग करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है। इनमें से पहला मामला भारतीय बार काउंसिल के 1 नवंबर, 2022 के कार्यालय आदेश को चुनौती देने का है जिसके द्वारा सभी राज्य बार काउंसिलों को, जिसका उद्देश्य (याचिकाकर्ता के अनुसार) उन अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया को रोकना था जो उनकी उपाधियों (डिग्री) और नामांकन की वास्तविकता की जांच के लिए राज्य बार काउंसिलों में नामांकित हैं। दूसरा मुद्दा आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों को सहयोजित करने की पद्धति से संबंधित है।

ई.

एफ.

2. हमने याची की ओर से पेश हुए वकील श्री आनंद नंदन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से श्री अपूर्वा कुमार शर्मा के साथ पेश हुए वरिष्ठ वकील श्री मनन कुमार मिश्रा को सुना है।
3. 2015 में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) नियम 2015 को अधिसूचित किया। प्रमाणपत्रों और अभ्यास के स्थान के सत्यापन की प्रक्रिया

जी.

1 'नियम 2015 '

एच.

508

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

ए.

इसकी शुरुआत स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रयासों से हुई।

4. 2015 के नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी। विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को स्थानांतरित मामले (सिविल) संख्या 126/2015 के द्वारा इस न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था।

बी.

5. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सत्यापन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के दो पूर्व न्यायाधीशों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तीन सदस्यों ने की।

सी.

6. विश्वविद्यालयों द्वारा अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए मांगे गए शुल्कों के परिणामस्वरूप सत्यापन की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1 मार्च 2017 को, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया कि वे शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क की मांग न करें।

डी.

7. सत्यापन की प्रक्रिया में समय लगा है क्योंकि अधिवक्ताओं की संख्या जो भौतिक समय पर 16 लाख थी, वर्तमान में लगभग 25.70 लाख होने का अनुमान है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया

द्वारा दायर जवाबी हलफनामा नामांकित अधिवक्ताओं के सत्यापन के संबंध में राज्यवार स्थिति का संकेत देता है। सारणीबद्ध कथन नीचे प्रस्तुत किया गया है:

ई.

S.No.	State	Total No. of Advocates enrolled	Total No. of forms Received Under verification	Total No. of forms Received Under declaration	Total forms received	Number of degrees sent to Universities for Verification	Number of report received back from University after Verification	Detail of fake degree/fake advocates, if any, after verification	Data received on
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andhra Pradesh	63394	28323	9053	37376	27347	17174	14	18.11.2022
2	Delhi	146556	32195	12204	44399	86850	67780	117	26.11.2022
3	Gujarat	113110	31479	7385	38264	21550	8942	0	23.11.2022
4	Himachal Pradesh	11426	3548	4194	3548	6903	6903	0	29.11.2022
5	Jharkhand	32768	16670	618	17288	19019	10253	2	25.11.2022
6	Karnataka	110125	49073	7578	56651	43886	18500	0	19.11.2022
7	Kerala	62776	21910	5878	0	24494	20001	0	15.11.2022
8	Maharashtra & Goa	220450	67944	22550	90494	69605	51000	7	29.11.2022
9	Odisha	59198	29152	6781	35933	25857	1757	0	15.12.2022
10	Punjab & Haryana	130662	41719	2250	43969	39690	21950	0	09.12.2022

एफ.

जी.

एच.

509

अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

11	Rajasthan	97730	47475	2015	49490	45377	37330	0	14.11.2022
12	Tamil Nadu	122591	38230	21756	59986	38007	28773	0	14.11.2022
13	Tripura	1801	660	18	678	639	594	0	09.12.2022
14	Uttar Pradesh	414568	157347	55747	213094	137608	67913	0	02.12.2022
15	Uttarakhand	19499	8011	3313	11324	8011	5343	0	11.11.2022
16	West Bengal	75353	26004	6800	32804	23435	9000	0	29.11.2022
17	Assam, Nagaland etc.	38307	21495	4365	25860	7309	8	0	23.11.2022
18	Bihar	134227	49851	4938	54789	12313	849	2	06.11.2022
19	Chhattisgarh	31825	12600	1099	13699	11761	10713	0	11.11.2022
20	Madhya Pradesh	122082	47937	17206	65143	27591	8245	0	05.01.2023
21	Manipur	778	649	649	649	649	11	0	15.11.2022
22	Telangana	46847	22547	2912	25459	17557	10116	2	23.11.2022
23	Meghalaya	1347	268	428	1571	0	0	0	21.12.2022
24	Jammu & Kashmir	Information has not been received							
	Total	2057420	755087	199737	922468	695458	403155	144	

ए.

बी.

सी.

8. उपरोक्त कथन इंगित करता है कि 20.57 लाख अधिवक्ताओं में से लगभग 7.5 लाख प्रपत्र सत्यापन के उद्देश्य से प्राप्त किए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं को केवल एक घोषणा जारी करने की आवश्यकता थी और तदनुसार, 1.99 लाख घोषणाएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रपत्रों की कुल संख्या 9 लाख 22 हजार है, जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

डी.

9. उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य बार काउंसिल में नामांकित अधिकांश अधिवक्ताओं ने अपने सत्यापन फॉर्म जमा नहीं किए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आशंका है कि कई अधिवक्ता जिन्होंने सत्यापन के लिए अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य नहीं हैं या जिनके पास "नकली डिग्री है"। भारतीय विधिज्ञ परिसद ने इसे इस औचित्य के साथ प्रस्तुत किया है कि व्यक्तियों का यह वर्ग, विधि व्यवसाय के लिए अपेक्षित योग्यताओं के बिना, कार्य में व्यवधान सहित बाहरी प्रयोजनों के लिए न्यायालयों में प्रवेश करने के लिए जाना जाता है। भारतीय विधिज्ञ परिसद का इस बात पर जोर देना न्यायोचित है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें विधिज्ञ परिसदों में नामांकित अधिवक्ताओं की सूची से बाहर किया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

10. न्याय प्रशासन की अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्य बार काउंसिलों में नामांकित अधिवक्ताओं का उचित सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो अधिवक्ता होने का दावा करते हैं, किंतु उनके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं या उपाधि प्रमाणपत्र नहीं हैं जिनके आधार पर वे विधिपूर्ण रूप से अधिवक्ता बन सकते थे और 'बार' में उनका प्रवेश विधिसम्मत होता, नागरिकों को न्याय मिलने के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसलिए, यह देश के प्रत्येक वास्तविक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे

जी.

एच.

510

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सहयोग करें जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि अभ्यास के प्रमाण पत्र अंतर्निहित शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्रों के साथ विधिवत सत्यापित हैं। यदि यह कवायद समय-समय पर नहीं की जाती है तो न्यायिक प्रशासन पर गंभीर संकट आ सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई लिखित प्रस्तुति से संकेत मिलता है कि ऐसे कई व्यक्ति राज्य बार काउंसिल के लिए चुने गए हैं और उसके बाद कुछ व्यक्तियों ने जिला न्यायपालिका में भी न्यायिक पद संभाला है। 11. 1 नवंबर 2022 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए संचार में इस तथ्य पर आपत्ति जताई गई कि उत्तर प्रदेश राज्य की बार काउंसिल ने शैक्षिक प्रमाणपत्रों और अधिवक्ताओं की डिग्री की वास्तविकता और वैधता को सत्यापित किए बिना जल्दबाजी में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पत्र में इस तथ्य को पुष्ट करता है कि राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। इसलिए, सभी राज्य बार परिषदों को अगले आदेश तक सत्यापन की प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि राज्य बार काउंसिल जो डिग्री प्रमाणपत्रों की वास्तविकता और वैधता की पुष्टि कर रही हैं, वे ऐसा करना जारी रखेंगी।

बी.

सी.

डी.

12. वरिष्ठ वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा ने प्रस्तुतिकरण के दौरान स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर 2022 के पत्र का उद्देश्य सत्यापन की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश देना नहीं था, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना था कि सत्यापन की प्रक्रिया केवल डिग्री प्रमाणपत्रों की वास्तविकता और वैधता को सत्यापित किए बिना राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रमाण पत्रों के आधार पर नहीं की गई थी। 13. इस मामले के बड़े आयामों और न्याय प्रशासन पर नकली डिग्री धारकों और अन्य व्यक्तियों, जिनके पास बार में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं पाई जाती हैं, के नामांकन के प्रत्यक्ष प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए इस न्यायालय द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए और इसके सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: (i) उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश; (ii) दो वरिष्ठ अधिवक्ता; और (iii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तीन सदस्य। उपरोक्त सुझाव को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

511

अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ए.

14. हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:

(i) श्री न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश;

((ख) न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश;

बी.

((ग) श्री राजेन्द्र मेनन, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश;

(iv) श्री राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता; और (v) श्री मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।

सी.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन सदस्यों को नामित करने की स्वतंत्रता होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव समिति के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सभी सञ्चालन से सम्बंधित सभी प्रकार की सहायता सुलभ करवाने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। समिति के सदस्यों को देय मानदेय अध्यक्ष द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तय किया जाएगा।

डी.

15. इस न्यायालय द्वारा गठित समिति को सत्यापन की प्रक्रिया की निगरानी करने का अधिकार है। समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करने की स्वतंत्रता होगी कि अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण किया जाए। सत्यापन की प्रक्रिया में संबंधित अधिवक्ताओं के शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्र और नामांकन प्रमाण पत्र दोनों शामिल होंगे। सभी राज्य बार काउंसिल समिति के निर्देशों का पालन करेंगी और अनुपालन की रिपोर्ट देंगी।

ई.

एफ.

16. सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड सत्यापन के उद्देश्य से कोई शुल्क लिए बिना शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन करेंगे। बार काउंसिलों द्वारा की गई मांगों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाएगा और सत्यापन की रिपोर्ट शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत की जाएगी।

जी.

17. हम समिति से पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि और समय पर पहली बैठक बुलाकर अपनी सुविधा के अनुसार जल्द से जल्द काम शुरू करने का अनुरोध करते हैं। सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर 31 अगस्त, 2023 तक इस न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) प्रस्तुत की जाएगी।

एच.

512

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

18. हम स्पष्ट करते हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए समिति के गठन के लिए वर्तमान आदेश को स्वयं बार काउंसिलों के मौजूदा कार्यकाल को बढ़ाने के निर्देश के रूप में नहीं माना जाएगा।

बी.

अंकित ज्ञान

निर्देश जारी किए गए।

(सहायक: महेन्द्र यादव, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.